संख्या-463 जेएल/22-3-2025-ई-1991867

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24.11.2025

विषयः- जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र सोमारू राम यादव व विचाराधीन बंदी बृजेश यादव उर्फ बाबा यादव पुत्र बाबूलाल यादव को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-40367/सामा-1(5)/179/बंदी स्था0/2025, दिनांक 27-10-2025 एवं पत्र संख्या-40366/सामा-1(5)/179/बंदी स्था0/2025, दिनांक 27-10-2025 में की गई संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में तालिका में उसके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम जहां स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4
1-	विचाराधीन बंदी श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र श्री सोमारू राम यादव	जिला कारागार वाराणसी।	जिला कारागार, कासगंज।
2-	विचाराधीन बंदी बृजेश यादव उर्फ बाबा यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव	जिला कारागार वाराणसी।	जिला कारागार, कानपुर देहात।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली/कासगंज/कानपुर देहात।

5- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली कासगंज/कानपुर देहात।

6- वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, वाराणसी/जिला कारागार, कासगंज/जिला कारागार कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को कारगार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।